भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-949
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

पीएम पोषण योजना के लिए बजट आबंटन

†949. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के लिए आबंटित किए गए बजट में विगत पांच वर्षों में कमी आई है/स्थिर रहा है;
(ख) यदि हां, तो देश में बाल 'वृद्धिरोध', 'बौनापन' और कुपोषण की उच्च दरों के बावजूद इस स्थिर बजट आबंटन को बनाए रखने के पीछे औचित्य क्या है;
(ग) क्या सरकार ने योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में वर्तमान वित्तपोषण स्तरों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हां, तो बच्चों के कुपोषण को दूर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में योजना को सुदृढ़ करने के लिए किए गए अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) क्या सरकार का भविष्य के वित्तीय वर्षों में बजट आबंटन को बढ़ाने का विचार है ताकि महंगाई और बढ़ती मांग के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के बजट में बढ़ोतरी हुई है। पीएम पोषण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की गई सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। पात्र बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्र सरकार ने 85794.9 करोड़ रुपये के वित्त परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 54061.73 करोड़ रुपये और राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों

के प्रशासन की ओर से 31733.17 करोड़ रुपये शामिल हैं। विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत बजट आवंटन में 13.34% की वृद्धि हुई है। पीएम पोषण योजना के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार बजट अनुमान इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (पीएम पोषण योजना)
2020-21	11000.00
2021-22	11500.00
2022-23	10233.75
2023-24	11600.00
2024-25	12467.39

योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सभी कार्य दिवसों पर स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को शामिल करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में धनराशि जारी की जाती है। यद्यपि पीएम पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, फिर भी केंद्र सरकार परिवहन लागत सहित खाद्यान्न की लागत के लिए 100% सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों की कवरेज, कार्य दिवस और स्कूलों; स्कूलों में नामांकन; खाद्यान्न का उपयोग, खाना पकाने की लागत का उपयोग, परिवहन लागत, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई), रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान, रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद आदि पर विस्तृत जिलावार महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। बाल कुपोषण को दूर करने के लिए, योजना के अंतर्गत पोषण और भोजन के मानदंड निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	मद	प्राथमिक एवं बालवाटिका	उच्चतर प्राथमिक
क) प्रति बच्चा प्रति दिन पोषण मानदंड			
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख) प्रति बच्चा प्रति दिन भोजन मानदंड			
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियाँ	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

भोजन फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयरन और आयोडीन) और फोर्टिफाइड तेल (विटामिन ए और डी) से तैयार किया जाता है।

इस योजना को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई पहल की गई हैं। लोचशील घटक के तहत, कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, फल, दूध, रागी माल्ट और चिक्की आदि भी उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित पोषण सामग्री को पूरा करने के लिए अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपना मेनू तय करते हैं। श्री अन्न (बाजरा) सुपर ग्रेन हैं, जो फास्फोरस, मैग्नीशियम सहित कई विटामिन और खनिजों का एक बड़ा स्रोत हैं जो पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को श्री अन्न को सप्ताह में कम से कम एक बार मेनू में शामिल करने के लिए सलाह जारी की गई है। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री की लागत में समय-समय पर वृद्धि की जाती है, ताकि दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, अन्य मसालों और ईंधन जैसी सामग्री की लागत में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जा सके। सामग्री लागत की मौजूदा दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर (सीपीआई-आरएल) सूचकांक के आधार पर 13.70% संशोधित कर बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए 6.19 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 9.29 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन कर दिया गया है, जो दिनांक 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी गया है। इससे स्कूलों को विद्यार्थियों को सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, तथा भोजन की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

भारत सरकार ने योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। पीएम पोषण योजना के दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड सामान खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन की जाँच करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा करना आवश्यक है, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो। सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभाग की है।

तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 31 जनवरी 2025 तक) के दौरान पूरे देश में 4.85 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 4.58 करोड़ छात्र तिथि भोजन से लाभान्वित होंगे।

योजना के तहत स्कूलों में पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। देशभर में 6.96 लाख स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान स्थापित किए गए हैं। इससे छात्रों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में समझने में मदद मिल रही है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य जांच की जाती है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) की गोलियां दी जाती हैं और बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षण परिणामों के लिए छात्रों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के तहत कृमिनाशक दवाएं दी जाती हैं।

*****